



डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

DR. HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय / A Central University)

कुलसचिव
Registrar

registrardhgsu@rediffmail.com

www.dhgsu.ac.in

(Ph.) + 91 7582-265228

(Fax) + 91 7582-264236

Sagar- 470003 (M.P.) India

क/अनु.जाति./अनु.जनजाति./05/2023-24/59

दिनांक 22 मई 2024

// अधिसूचना //

समस्त अधिष्ठाता संकाय/समस्त विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे अनु.जाति/अनु.जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों के समस्त प्रमाण-पत्रों (स्थायी जाति/आय (अभिभावक पिता का)/निवास प्रमाण पत्र) सहित पूर्व में दिये गये पत्र क.एस.सी./एस.टी./5/55 दिनांक 21.07.09 / 22.07.2010 / एवं पत्र.क/अनुजाति.अनु.जनजाति/अन्य/अल्प.सं/643 दिनांक 07.05.11 व क/अनु.जाति/अनु.जनजाति / 05 / 2011/142 दिनांक 29.07.11 एवं पत्र क/अनु.जाति /अनु.जनजाति/05 /2013/15 दिनांक 14/06/13 व क/अनु.जाति/अनु.जनजाति/05/2014-15/251 दिनांक 03.07.15 एवं डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के (Prospectus & Admission Brochure 2016 Page No.13 esa 4.1(b)-As per the UGC Letter No. F1-27/2009(SCT) dated 09-09-2015 & MHRD Letter No.F.No.14-5/2013-13SC/ST dated 13-01-2014: Clause No.3(i) "No fees need be charged at the time of admission from those SC/ST students who are eligible for Post-Matric Scholarships//Top class Scholarships. At the time of admission they may be advised to deposit the fee with the Institute as soon as they receive the Scholarship amount. An undertaking to this effect may be taken from them at the time of admission.")

संदर्भित पत्र /मार्ग-दर्शिका के अवलोकन अनुसार, उन्हें शासन के नियमानुसार प्रवेश शुल्क में (Concession) प्रदान करें एवं (Provisional Admission Slip/ Demand/Challan Receipt) भरवाकर प्राप्त/जमा करें। उपरोक्त तीनों वर्ग के आवेदकों से अनिवार्य प्रवेश शुल्क, विभागीय शुल्क व शिक्षण शुल्क की मांग न की जावे। किन्तु जब इन विद्यार्थियों के खाते में शासन द्वारा शिक्षण शुल्क की राशि जमा हो वे तत्काल विश्वविद्यालय के खाते में पूर्ण फीस की राशि जमा किये जाने को निर्देशित कराये अन्यथा ऐसे विद्यार्थियों की अंक सूची एवं सभी नोड्यूल आदि प्रदान नहीं की जावेगी एवं शासन स्तर पर वसूली की कार्यवाही की जा सकती है जिसकी जबाबदेही छात्र की होगी। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अनु.जाति/अनु.जनजाति और पिछड़ा वर्ग छात्र-छात्राओं से इस आशय का वचन पत्र भरवाया जावे।

ज्ञातव्य हो कि उपयुक्त वर्ग के छात्र/छात्रा, ऑन लाईन छात्रवृत्ति आवेदन शासन के नियमानुसार पोर्टल खुलने पर छात्रवृत्ति आवेदन करने होंगे एवं वि.वि. द्वारा जारी शुल्क तालिका 2024-25 में दर्शित शुल्क अनुसार ही फीस में छूट दी जा सकेगी। उपरोक्त सुविधा सभी पाठ्यक्रमों पर लागू है। समस्त संकाय अध्यक्ष/समस्त विभागाध्यक्ष अनु.जाति/अनु.जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति आवेदन पत्र एम.पी. ऑन लाईन संबंधित विद्यार्थियों से करवाये एवं छात्रवृत्ति आवेदन करवाने के पश्चात् ऑन लाईन e-KYC करना अनिवार्य है एवं अनु.जाति/अनु.जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को पो0 मै0छात्रवृत्ति हेतु MPTAAS पोर्टल पर ऑन लाईन छात्रवृत्ति आवेदन कर हार्ड कॉपी संबंधित संकाय/विभाग के कार्यालय में आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित जमा करें, साथ ही अपने बैंक खाता नम्बर की NPCI Mapping अनिवार्य रूप से कराये, नहीं कराने की स्थिति में नोडल अधिकारी द्वारा आगे ऑनलाईन छात्रवृत्ति Process किया जाना संभव नहीं होगा। ऑन लाईन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी विभाग/संकाय में जमा कराये एवं प्रवेश प्राप्त पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति/शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान की गई है उसकी ऑन लाईन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र की हार्डकॉपी में निम्न संलग्न सूची प्रकोष्ठ को (विद्यार्थी का ऑन लाईन आवेदन में सही नाम व पता, आधार कार्ड से लिंक सही बैंक खाता, बैंक का सही IFSC नं प्रथम वर्ष में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी के लिए टी.सी. की फोटो प्रति, पिछली कक्षा की अंकसूची, कक्षा में प्रवेश रसीद/चालान, जाति प्रमाण पत्र, पिता का आय प्रमाण पत्र स्थानीय निवास प्रमाण पत्र,समग्र आई.डी व छात्रवृत्ति संबंधित प्रवेश निरस्त विद्यार्थियों की सूची) उपलब्ध कराये।

सत्र 2024-25 शासन के नियमानुसार विद्यार्थियों को शुल्क में छूट (Concession) की आय सीमा, वर्गवार निम्नानुसार है:-

1.(अ) अनु.जाति के छात्रों हेतु, शासन के पोर्टल अनुसार, अशासकीय संस्थानों के पाठ्यक्रमों के लिए" प्रवेश एवं फीस नियामक समिति" एवं निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग" द्वारा निर्धारित की गई वास्तविक फीस का भुगतान किया जाना है। उनके शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की वार्षिक आय सीमा रु 3.00 से बढ़ाकर रु. 6.00 लाख की गई है भारत सरकार द्वारा वार्षिक आय सीमा रु.2.50 लाख तक का व्यय वहन किया जाएगा। वार्षिक आय सीमा 2.50 से अधिक रु 6.00 लाख तक का व्यय भार राज्य मद से किया जाना है

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

DR. HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय / A Central University)

registrardhsu@rediffmail.com

www.dhsu.ac.in

(Ph.) + 91 7582-265228

(Fax) + 91 7582-264236

Sagar- 470003 (M.P.) India

दिनांक मई 2024

कुलसचिव
Registrar

क/अनु.जाति./अनु.जनजाति./05/2023-24/

वार्षिक आय सीमा रु 6.00 लाख से अधिक आय वर्ग वाले विद्यार्थियों को कोई भी शिक्षण शुल्क/छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी छात्र-छात्राओं को ही उपलब्ध होगी।

1.(ब) सत्र 2021-22 डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के संदर्भित पत्र क्रमांक/एससीएसटी सेल/05/2021-22/270 दिनांक 10.02.2022 के समस्त संकाय/समस्त विभाग के अध्ययनरत् अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के ऑन लाईन प्रवेश प्राप्त कर डाटा विश्वविद्यालय द्वारा (MPTAAS) छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड किये गये है। वर्ष (नवीन) एवं वर्ष (नवीनीकरण) विद्यार्थियों के लिए एमपीटीएस (MPTAAS) पोर्टल पर पोस्ट मैट्रिक अनु.जाति ऑन लाईन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र प्रदान किये जाने है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा अनु.जाति ऑन लाईन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी सहपत्रों के संकाय/विभाग में जमा के अग्रेषित/सत्यापित के अनु.जाति ऑन लाईन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रकोष्ठ को ऑन लाईन सत्यापित हेतु और ऑन लाईन छात्रवृत्ति स्वीकृति किये जाने हेतु, उपलब्ध करवाना होगा।

2.(अ) अनु.जनजाति के छात्रों हेतु, शासन के पोर्टल अनुसार, अशासकीय संस्थानों के पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश एवं फीस नियामक समिति एवं निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की गई वास्तविक फीस का भुगतान किया जाना है। उनके शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की वार्षिक आय सीमा रु 3.00 से बढ़ाकर रु.6.00 लाख की गई है भारत सरकार द्वारा वार्षिक आय सीमा रु.2.50 लाख तक का व्यय वहन किया जाएगा। वार्षिक आय सीमा 2.50 से अधिक रु 6.00 लाख तक का व्यय भार राज्य मद से किया जाना है वार्षिक आय सीमा रु 6.00 लाख से अधिक आय वर्ग वाले विद्यार्थियों को कोई भी शिक्षण शुल्क/छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। यह छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी छात्र-छात्राओं को ही उपलब्ध होगी।

2.(ब) सत्र 2018-19 उपायुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश भोपाल कार्यालय दिनांक 17.06.2019 निर्देशानुसार, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के समस्त संकाय/समस्त विभाग के अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के ऑन लाईन प्रवेश प्राप्त डाटा विश्वविद्यालय द्वारा (MPTAAS) छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड किये गये है। वर्ष (नवीन) एवं वर्ष (नवीनीकरण) विद्यार्थियों के लिए एमपीटीएस (MPTAAS) पोर्टल पर पोस्ट मैट्रिक अनु.जनजाति ऑन लाईन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र प्रदान किये जाने है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा अनु.जनजाति ऑन लाईन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी सहपत्रों के संकाय/विभाग में जमा के अग्रेषित/सत्यापित के अनु.जनजाति ऑन लाईन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रकोष्ठ को ऑन लाईन सत्यापित हेतु और ऑन लाईन छात्रवृत्ति स्वीकृति किये जाने हेतु, उपलब्ध करवाना होगा।

(वि.वि.संदर्भित पत्र क्रमांक:एससीएसटीसेल/05/18-19/349 दिनांक 19.06.2019 का अवलोकन करें)

3.(अ) म.प्र. शासन के पोर्टल अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों लिए आय 3.00 लाख तक छात्रवृत्ति व पूरी फीस में छूट की पात्रता होगी। यह छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी छात्र-छात्राओं को ही उपलब्ध होगी। (एवं वि.वि. का संदर्भित क/अनु.जाति./अनु.जनजाति./05/2017-18/35 दिनांक 05.03.2018 अवलोकन के विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की सत्र के पोस्ट मैट्रिक पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति आवेदन प्रेषित के छात्रवृत्ति आवेदन में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग के संबंधित विद्यार्थियों की जानकारी प्रदान करना चाहे। जिससे संबंधित अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्रा को विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग में आने वाले विद्यार्थियों की अंतर की राशि छात्रवृत्ति के प्रस्ताव, पो0मै0 अनु0जाति/अनु0जनजाति के छात्र-छात्रा के समान बनाकर अंतर की छात्रवृत्ति राशि रु भुगतान हेतु, शासन को प्रेषित की जा सके।

3.(ब) सत्र 2021-22 सहा. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सागर संदर्भित क्रमांक/पि.वर्ग./pm/2021-22/453 दिनांक 28.01.2022 के डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के समस्त संकाय/समस्त विभाग के अध्ययनरत् अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के ऑन लाईन प्रवेश प्राप्त डाटा विश्वविद्यालय द्वारा (MPTAAS) छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड किये गये है। वर्ष (नवीन) एवं वर्ष (नवीनीकरण) विद्यार्थियों के लिए एमपीटीएस (MPTAAS) पोर्टल पर पोस्ट मैट्रिक अन्य

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

DR.HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय / A Central University)

registrardhgsu@rediffmail.com

www.dhgsu.ac.in

(Ph.)+ 91 7582-265228

(Fax) + 91 7582-264236

Sagar- 470003 (M.P.) India

कुलसचिव
Registrar

क/अनु.जाति./अनु.जनजाति./05/2023-24/

दिनांक मई 2024

पिछड़ा वर्ग ऑन लाईन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र प्रदान किये जाने हैं। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग ऑन लाईन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी सहपत्रों के संकाय/विभाग में जमा के अग्रेषित/सत्यापित के अन्य पिछड़ा वर्ग ऑन लाईन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रकोष्ठ को ऑन लाईन सत्यापित हेतु और ऑन लाईन छात्रवृत्ति स्वीकृति किये जाने हेतु, उपलब्ध करवाना होगा।

4. अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम,सिख,इसाई,बैद्ध,पारसी,जैन) के विद्यार्थियों को MINORITY COMMUNITIES की छात्रवृत्ति की पात्रता हेतु, वार्षिक आय-सीमा राशि रु.2,00,000/-एवं MERIT/CUM MEANS की छात्रवृत्ति की पात्रता हेतु, वार्षिक आय-सीमा राशि रु.2,50,000/- लाख तक निर्धारित है एवं 50 प्रतिशत अंक / ग्रेड प्राप्त किया गया हो -ऑन लाईन छात्रवृत्ति के आवेदन हेतु विद्यार्थियों को भारत सरकार की वेबसाईड www.scholarships.gov.in पर आनलाईन आवेदन करना होगा। इस साईड की लिंक भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाईड www.minorityaffairs.gov.in पर भी उपलब्ध है।

5. म.प्र.शासन द्वारा ऑन लाईन 2.0 एवं (MPTAAS) पोर्टल खुलने पर अनु0जाति/अनु0जनजाति विद्यार्थियों को आवास सहायता योजना छात्रवृत्ति के लिए ऑन लाईन छात्रवृत्ति आवेदन करना होगा। समस्त संकाय/समस्त विभाग के अनु0जाति/अनु0जनजाति विद्यार्थियों द्वारा समय-सीमा में आवास सहायता योजना छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन नहीं करने पर स्वयं छात्र-छात्रा की जबाबदेही होगी।

H. Y. M. M. M.
22/5/2024
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त अधिष्ठाता/समस्त विभागाध्यक्ष (शिक्षण विभाग) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. सहा.आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग /सहा.संचालक, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (कलेक्टोरेट),सागर वर्ष 2024-25 की नियमावली(अनु.जाति/अनु.जनजाति/पिछड़ा वर्ग /अल्पसंख्यक वर्ग) शीघ्र वि.वि. को उपलब्ध करावें।
3. माननीय कुलपति महोदया जी के सचिव - को सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमान् कुलसचिव महोदय जी के निजी सहायक - को सूचनार्थ प्रेषित।
5. कुलानुशासक महोदया, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर - को सूचनार्थ प्रेषित।
6. समस्त अधिकारी विश्वविद्यालय/समस्त शाखा प्रभारी- को सूचनार्थ प्रेषित।
7. समस्त संकाय/समस्त विभाग के सूचना पटल पर चस्पा।

नोट : भारत सरकार के (National Portal) में राज्य/अन्य राज्यों के अनु.जाति/अनु.जनजाति और पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति हेतु एवं अन्य प्रकार की छात्रवृत्तियाँ हेतु, राज्य/अन्य राज्य के विद्यार्थी ऑन लाईन छात्रवृत्ति आवेदन कर, छात्रवृत्ति आवेदन की हार्ड कॉपी को अपने से संबंधित संकाय/विभाग कार्यालय में स्वयं सत्यापित कर आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित शीघ्र जमा करें। नोडल अधिकारी, डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर द्वारा ऑन लाईन छात्रवृत्ति स्वीकृति के पूर्व ही आपके द्वारा प्रेषित पात्र विद्यार्थियों ऑन लाईन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र हार्ड अनुसार, सूची कक्षा में कुल दिनों की संख्या व उपस्थिति 75 प्रतिशत उपस्थिति वर्षवार समस्त संकाय/समस्त विभाग को अनु.जाति/अनु.जनजाति प्रकोष्ठ प्रेषित करना अनिवार्य है। कृप्या, समस्त संकाय/समस्त विभाग में अध्ययनरत विद्यार्थियों की कक्षा उपस्थिति 75 प्रतिपूर्ण होने पर प्रेषित किये जाने वाले कुल पात्र विद्यार्थियों की जानकारी के, शासन के नियमानुसार ऑन लाईन छात्रवृत्ति भुगतान प्रदान किये जाने हैं, दोनों सेमेस्टर (Odd एवं Even) के समस्त विषयों की उपस्थिति की गणना करके औसत कुल उपस्थिति एवं सूची उन विद्यार्थियों की जिनकी उस कक्षा में औसत उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है संलग्न कर जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें। शासन द्वारा नियम संशोधित होने पर नये नियम लागू होंगे।

22/5/24
अधिष्ठाता,